संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2013 / 808 भोपाल, दिनांक 25/06/2013

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः–चिकित्सकों / अन्य कर्मचारियों द्वारा पदस्थापना स्थल पर रहने एवं चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं को नियमित रूप से सांय 5 से 6 क्रियाशील रहने के संबंध में ।

––00––

जिलों में भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों व चिकित्सा संस्थाओं की व्यवस्थाओं में कुछ कमियाँ परिलक्षित हुई हैं। इन कमियों में तत्काल सुधार लाया जाना आवश्यक है:–

1) कुछ चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सक पदस्थापना स्थल पर नहीं रहते तथा आसपास के बड़े शहर से अप–डाउन करते हैं। इस कारण वे समय पर चिकित्सालय नहीं पहुँच पाते एवं पूरे समय उपलब्ध नहीं रहते हैं। यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सक व अन्य स्टाफ मुख्यालय में रहे व सही समय पर चिकित्सालय पहुँच कर सेवायें देना आरंभ करें।
2) कुछ चिकित्सा संस्थाओं में यह पाया गया कि चिकित्सक/कर्मचारी शाम के समय चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था में नहीं आते अथवा चिकित्सा संस्था शाम को नहीं खुलती , यह अत्यंत आपत्तिजनक है। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था अनिवार्य रूप से खुले एवं चिकित्सक/अन्य कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी स्थापना के सभी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं में नियमित रूप से भ्रमण करें (प्रति सप्ताह कम से कम एक बार) तथा इस बात की जाँच करें कि चिकित्सक उनकी पदस्थापना के स्थान पर निवास कर रहे हैं, समय पर अस्पताल पहुँच रहे हैं तथा चिकित्सा संस्थाऐं नियमित रूप से शाम 5 से 6 के बीच खुल रहीं हैं। भ्रमण के दौरान संचालनालय से जारी कायाकल्प, आस्था एवं ममता अभियान के संबंध में जारी निरिक्षण संबंधी निर्देशों का भी निरिक्षण करें। निरीक्षण कर अपनी निरिक्षण रिपोर्ट संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित करें तथा प्रतिमाह किये गये निरीक्षणों की संक्षिप्त रिपोर्ट व उठाये गये कदमों की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश

6/c

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2013 / 809 भोपाल, दिनांक 25/06/13

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।